न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 09/2020 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवानः–

प्रार्थी

1. मांगीलाल पुत्र श्री प्रेमाजी जाति विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचौर जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी

1. जयकिशन पुत्र धुकलाजी
2. दुर्गाराम पुत्र धुकलाजी
3. हेमाराम पुत्र धुकलाजी
4. प्रकाश पुत्र भाकचंद
5. मनिष पुत्र भाकचंद
6. मालाराम पुत्र भाकचंद

जातियान विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचौर जिला जालोर।

निर्णय

दिनांक :– 16.07.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाशक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम डेडवा में आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 462 रकबा 1.62 हैक्टर है जिसमें प्रार्थी ढाणी बनाकर परिवार सहित रहता है एवं खेती बाड़ी करता है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 461 एवं 462/883 से होकर आवागमन का रास्ता वर्तमान में चल रहा है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। इसलिए खेत खसरा संख्या 461 एवं 462/883 में होकर 16 फिट रास्ता प्रार्थी को दिया जावे। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रयोजन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा परिषिष्ट वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेश परिशिष्ट संलग्न किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 में राजिनामा हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गई भूमि का राजहक में रास्ता दर्ज करने के लिए सरेन्डर कर दिया गया है और यदि भूमि को गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किया जाता है तो सर्वथा उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजीनामे के सबूत के तौर पर ग्राम डेडवा के खसरा नम्बर 461 रकबा 1.39 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 462/883 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.0032 हैक्टर का राजहक में किया गया समपर्णनामा, जमाबंदी एवं नक्शा पेश किया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 462 ग्राम डेडवा तहसील सांचौर की पहुँच हेतु मार्ग खसरा संख्या 461 एवं 462/882 से होकर चाहा था जिसे अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा होने से राजहक में बिना शर्त समर्पण कर दिया गया है तथा नक्शे में तरमीम कर दी गई है। अतः समर्पण की गई भूमि का गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना सर्वथा उचित है।

16/7/2021

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामें की भावना से राजहक में दिनांक 25.01.2021 को समर्पित खसरा नम्बर 461 रकबा 1.39 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 462/883 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.0032 हैक्टर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनवाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

पत्रावली फैसल शुमार होकर व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Scanned by CamScanner